



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-490 / 1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 01-02-2023

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद ।

निदेशक: आन्ध्र प्रदेश, जी०डी०सी०, हैदराबाद ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी(प्रशासन)(म०स०का०) ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी०पी०सी०-2023) ।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पत्रता की अवधि
1.	Shri Sailesh Kumar Bahuguna	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	01-02-2023
2.	Shri Patan Imam Kasim	AP& T GDC, Hyderabad	AP& T GDC, Hyderabad	01-02-2023

2. उपरोक्त पदोन्नति उनकी पात्रता की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए । पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 10-02-2023 तक अवश्य सूचित करें ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों "no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later." के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा


4. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत एफ०आर० 22(1)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7- *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

8. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।


(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।